न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 67/2018/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
तारीख दायराः 12.7.2018
अन्तर्गत धाराः 76 एल.आर.एक्ट

उनवान

छोट्या पुत्र चंदा जाति माली निवासी ग्राम तेखडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा–राज0।

...अपीलांट

बनाम

1. घनश्याम पुत्र चंदा जाति माली निवासी ग्राम तेखडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा–राज0।
2. श्रीमती मोहनीबाई पुत्री चंदा पत्नी देवलाल जाति माली निवासी ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (मृतक)–जरिये कायम मुकामानः–

2/1–नन्दकिशोर पुत्र देवलाल जाति माली
2/2–रूपचंद पुत्र देवलाल जाति माली
2/3–बंसती बाई पुत्री देवलाल जाति माली
2/4–ओमप्रकाश पुत्र देवलाल जाति माली
निवासीगण ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा–राज0।

3 सोहनीबाई पुत्री चंदा पत्नी सत्यनारायण जाति माली निवासी पावर हाउस के पास नयापुरा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा–राज0।

4. भूलीबाई पुत्री चंदा पत्नी कंवरलाल मृतक जरिये कायम मुकामानः–

4/1–आनन्दीबाई पत्नी गोपाल जाति माली निवासी हनुमान जी के मंदिर के आगे कोटडी गोरधनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा –राज0।
4/2–प्रेमबाई पत्नी बृजमोहन जाति माली निवासी माली पाडा नयापुरा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा–राज0।
4/3–कैलाशीबाई पत्नी नाथूलाल जाति माली निवासी मालीपाडा नयापुरा कोटा–राज0।
4/4–मंजूबाई पत्नी राजू जाति माली निवासी 2–एल–16 महावीर नगर तृतीय कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा–राज0।
4/5–रामभरोस पुत्र कंवरलाल जाति माली निवासी पावर हाउस के पास नयापुरा कोटा तह0 लाडपुरा जिला कोटा–राज0।

5 गोविन्दीबाई पुत्री चंदा पत्नी छोटूलाल मृतक जरिये कायम मुकामानः–

5/1–रामभरोसी पत्नी पुरूषोत्म जाति माली निवासी मंदिर ठाकुर जी के पास मेन रोड तेखडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा–राज0।

6 दी स्टेट ऑफ राज0 जरिये तहसीलदार लाडपुरा कोटा–राज0।

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी अभिभाषक अपीलांट्स
श्री चन्द्रमोहन शर्मा अभिभाषक रेस्पो0

:::निर्णय:::

दिनांक 1.10.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या–124/2013 (अपील) अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट बउनवान छोट्या बनाम घनश्याम वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 22.5.2018 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 एलआरएक्ट मे इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलार्थी ने परीक्षण न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा द्वारा मुताबिक आदेश एसडीओ कोटा के क्रमांक/1397 दिनांक 2.11.2010 की पालना मे रिपोर्ट पटवारी एवं आईएलआर के ग्राम देवली के स्वीकृत नामान्तरकरण सं0 652 दिनांक 3.11.2010 उपखण्ड अधिकारी निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.6.2010 के अनुसार तस्दीक नही किये जाने एवं अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही तस्दीक किये जाने से व्यथित होकर अपील अधीनस्थ न्यायालय मे पेश कर नामा0 सं0 652 ग्राम देवली दिनांक 3.11.2010 निरस्त किया जाकर ख0 नं0 903 की 0.04 है0, ख0 नं0 905 की 0.26 है0, ख0 नं0 906 की 0.21 है0 ख0 नं0 907 की 0.33 है0 भूमि अपीलांट छोटया के खाते दर्ज करने का अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर कोटा ने अपीलाधीन नामान्तरकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा की डिक्री दिनांक 14.6.2010 की पालना मे खोले जाने से अपील अपीलांट निर्णय दिनांक 22.5.2018 से खारिज की गई जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि आदेश हर दो अधीनस्थ न्यायालय कानून न्याय तथा तथ्यो के सर्वथा विपरीत है। तहसीलदार लाडपुरा ने ग्राम देवली अरब के ख0 नं0 903 की 0.04 है0, ख0 नं0 905 की 0.26 है0, ख0 नं0 906 की 0.21 है0 ख0 नं0 907 की 0.33 है0 की भूमि मे अपीलांट के साथ रेस्पो0 सोहनी बाई, मोहनीबाई, भूलीबाई एवं गोविन्दी का नाम दर्ज करने मे एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर कोटा ने उसे बहाल करने मे त्रुटि की है जबकि उपखण्ड अधिकारी कोटा के आदेश एवं डिक्री मे उक्त आराजी ख0 नं0 903 905, 906, 907 ग्राम देवली अरब की भूमि स्पष्ट रूप से अपीलांट के तन्हा खाते दर्ज करने के आदेश हुए है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों को समझे बिना ही यह मानते हुये कि नामा0 डिक्री की पालना मे खोला गया है अपील खारिज करने मे त्रुटि की है जबकि वास्तविकता यह है कि तहसीलदार लाडपुरा द्वारा डिक्री के विपरीत भूमि मे सोहनीबाई, मोहनीबाई भूलीबाई व गोविन्दी बाई का भी खाते मे नाम दर्ज कर नामान्तरकरण तस्दीक किया है जबकि वह इस भूमि मे अपना हक वादी घनश्याम के हक मे पूर्व मे ही रिलीज कर चुकी है तथा उनका इस भूमि मे कोई हक व अधिकार शेष नही रहा था अतः अधीनस्थ न्यायालय को उपखण्ड अधिकारी कोटा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.6.10 के अनुसार नामान्तरकरण सही रूप से ही तस्दीक करना चाहिये था तथा ख0 नं0 903, 905, 906, 907 की भूमि अपीलांट छोटया के नाम तन्हा खाते दर्ज करना चाहिये था। प्रथम अपीलीय न्यायालय मे अपीलांट ने आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रावधानों के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये दस्तावेजात पेश किये थे परन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बिना तथा उक्त दस्तावेजात का अवलोकन किये बिना ही आदेश पारित किया जो निरस्तनीय है। अतः अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 652 ग्राम देवली अरब तह0 लाडपुरा दिनांक 3.11.2010 निरस्त किया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के आदेश एवं डिक्री दिनांक 14.6.2010 के अनुसार ख0 नं0 903, 905, 906, 907 भूमि अपीलांट छोट्या के तन्हा खाते दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि रेस्पो0 क्रम–1 घनश्याम ने छोटया एवं अन्य के विरूद्ध एक वाद घोषणा व विभाजन आराजी का प्रकरण सं0 115/08 था उक्त वाद मे वादी ने मोहनीबाई सोहनीबाई भूलीबाई गोविन्दीबाई द्वारा जरिये पंजीकृत हक त्याग अपना हिस्सा वादी घनश्याम के पक्ष मे रिलीज करने से भूमि मे किसी प्रकार का कोई हक नही रहने का कथन किया था इस प्रकार वादी घनश्याम का 5/6 हिस्सा और छोट्या का 1/6 हिस्सा रहा। दौराने वाद वादी ने परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा ने उक्त वाद मे दिनांक 14.6.2010 को निर्णय पारित कर ग्राम तेखडा के ख0 नं0 104, 105, 744 तथा 745 की कुल 1.32 हे0 एंव ग्राम देवलीअरब की ख0 नं0 892 दोनो गांवो की कुल 1.71 है0 भूमि का खातेदार घनश्याम को घोषित कर पृथक खाता कायम करने की डिक्री पारित की तथा ग्राम तेखडा के ख0 नं0 682, 690 691 कुल 0.40 है0 एवं ग्राम देवली अरब की के ख0 नं0 903, 905, 906, 907, की कुल 0.84 है0 इस प्रकार दोनो गावों की 1.24 है0 छोट्या के खाते

दर्ज करने की डिक्री प्रदान की जाकर अन्य खातेदारान द्वारा अपने हिस्से का हक त्याग कर देने से कोई हक व हिस्सा शेष नही होना माना। छोटया ने उपखण्ड अधिकारी कोटा के निर्णय एंव डिक्री दिनांक 14.6.10 के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के यहां छोटया बनाम घनश्याम उनवान की अपील सं0 119/10 पेश की थी जिसमे माननीय आरएए ने अपने निर्णय दिनांक 29.10.10 से अपील को खारिज करते हुये न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.6.2010 को बहाल रखा जो आज तक प्रभावशील है। उक्त निर्णय की पालना मे तह0 लाडपुरा द्वारा ग्राम देवली अरब के तस्दीक नामा0 सं0 269 मे ख0 नं0 104, 105, 744, 745 का तन्हा खातेदार घनश्याम को दर्ज कर दिया किन्तु शेष ख0 नं0 अपीलांट छोट्या के साथ साथ रेस्पो0 नं0 2 लगायत 5 का नाम भी दर्ज कर दिया जबकि इनका भूमि मे कोई हक एंव अधिकार उक्त निर्णय एवं डिक्री 14.6.10 के अनुसार नही रहता है उक्त तथ्य पर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने गौर किये बिना ही जेरअपील निर्णय पारित करने मे त्रुटि की है। बहस मे आगे बताया कि परीक्षण न्यायालय को निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध इन्तकाल तस्दीक करने का कोई अधिकार नही है अपने कथन के समर्थन मे 2014 डीएनजे(एससी) पेज 607 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे बताया कि दावे मे लडकियों को पक्षकार है बहने न्यायालय के निर्णय/डिक्री आदेश से पाबन्द नहीं है। लडकियों का नाम हटाने का आदेश मे हवाला नही है। सबका 1/6 हिस्सा है। दोनो भाईयो ने आपस मे राजीनामा कर लिया हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के सेक्शन 8 रेस्पो0 प्राकृतिक उत्तराधिकारी है। अपने कथन के समर्थन मे आरआरटी 2001 (2) पेज 947 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना प्रकट करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख तथा प्रकरण मे प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अपीलांट द्वारा नामा0 सं0 652 ग्राम देवली अरब तह0 लाडपुरा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा वाद प्रकरण सं0 115/06 मे पारित निर्णय दिनांक 14.6.2010 अनुसार परीक्षण न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा द्वारा तस्दीक नही किये जाने से अप्रसन्न होकर प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर कोटा के यहां अपील संव 123/13 पेश की गई। न्यायालय जिला कलक्टर कोटा ने नामा0 उपखण्ड अधिकारी कोटा की डिक्री दिनांक 14.6.10 की पालना मे खाले जाने से नामा0 खारिज करने के पर्याप्त आधार नही होने से अपील निर्णय दिनांक 22.5.2018 से खारिज की गई। जिससे व्यथित होकर अपीलांट/छोटया द्वारा द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश कर कथन किया कि "रेस्पो0 क्रम–1 घनश्याम ने छोटया एवं अन्य के विरूद्ध एक वाद घोषणा व विभाजन आराजी का प्रकरण सं0 115/08 था उक्त वाद मे वादी ने मोहनीबाई सोहनीबाई भूलीबाई गोविन्दीबाई द्वारा जरिये पंजीकृत हक त्याग अपना हिस्सा वादी घनश्याम के पक्ष मे रिलीज करने से भूमि मे किसी प्रकार का कोई हक नही रहने वादी घनश्याम का 5/6 हिस्सा और छोट्या का 1/6 हिस्सा रहा। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा ने उक्त वाद मे दिनांक 14.6.2010 को निर्णय पारित कर ग्राम तेखडा के ख0 नं0 104, 105, 744 तथा 745 की कुल 1.32 है0 एंव ग्राम देवलीअरब की ख0 नं0 892 रकबा 0.39 है0 दोनो गांवो की कुल 1.71 है0 भूमि का खातेदार घनश्याम को घोषित कर पृथक खाता कायम करने की डिक्री पारित की तथा ग्राम तेखडा के ख0 नं0 682, 690 691 कुल 0.40 है0 एवं ग्राम देवली अरब की के ख0 नं0 903, 905, 906, 907, की कुल 0.84 है0 इस प्रकार दोनो गावों की 1.24 है0 भूमि छोट्या के खाते दर्ज करने की डिक्री प्रदान की जाकर अन्य खातेदारान द्वारा अपने हिस्से का हक त्याग कर देने से कोई हक व हिस्सा शेष नही होना माना। उक्त निर्णय की पालना मे तह0 लाडपुरा द्वारा ग्राम देवली अरब के तस्दीक नामा0 सं0 652 दिनांक 3.11.10तस्दीक किया गया उक्त नामा0 के द्वारा ख0 नं0 892 रकबा 0.39 है0 का तन्हा खातेदारी घनश्याम को दर्ज कर दिया किन्तु शेष ख0 नं0 903, 905, 906, 907 मे अपीलांट छोट्या के साथ साथ रेस्पो0 नं0 2

लगायत 5 का नाम भी दर्ज कर दिया जबकि इनका भूमि मे कोई हक एंव अधिकार उक्त निर्णय एवं डिक्री 14.6.10 के अनुसार नही रहता है उक्त तथ्य पर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने गौर किये बिना ही जेरअपील निर्णय पारित करने मे त्रुटि की है।'' अपीलांट के कथन के सम्बध मे जेरअपील निर्णय एवं पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का अवलोकन किया। प्रथम दृष्टया परीक्षण न्यायालय द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा वाद प्रकरण सं0 115/06 मे पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 14.6.2010 अनुसार तस्दीक नही किया जाना प्रकट होता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी उक्त विवेचित तथ्यों को समुचित परीक्षण किये बिना जेरअपील निर्णय पारित करने मे त्रुटि की है ऐसी स्थिति मे उक्त विवेचन अनुसार हम परीक्षण न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा द्वारा पारित नामा0 सं0 652 दिनांक 3.11.2010 ग्राम देवली अरब एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 22.5.2018 को न्यायोचित नही पाते है। परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उक्त निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय अपास्त किये जाते है। प्रकरण पक्षकारान को विधिवत सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा प्रकरण सं0 115/06 मे पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 14.6. 2010 के अनुसार विवादित आराजी का पुनः नामान्तरकरण तस्दीक करने हेतु परीक्षण न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा को रिमांड/प्रतिप्रेषित किया जाता है।

6 निर्णय आज दिनांक 1.10..2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा